

फार्म नम्बर III फर्द अहकाम (नियम 25)

न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्री गंगानगर
राज्य जरिये लक्ष्मीकांत गुप्ता खा0सु0अधि0 बनाम नारायण दास
किस्म मुकदमा खा0 सु0 प्रकरण संख्या.../2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
24.02.2023	<p>राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2)(II)/52 एफ.एफ.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2)(II)/52 एफ.एफ.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभियुक्तों को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.03.2023 को पेश हो।</p> <p><i>व्यक्ति</i></p> <p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी <i>व्यक्ति</i> हैं। पत्रावली दिनांक <i>12/4/23</i> को पेश हो।</p>	<p><i>24/2/23</i></p> <p><i>12/4/23</i></p>
12/4/2023	<p>l.o.A एवं अज्ञाती उपस्थित। अज्ञात नोटिस पत्र किया जो शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई। आदेश पिटवार से पृथक से लिखा जाना शामिल मिसल किया गया। आदेश की प्रति सम्बन्धित विभाग को भिजवाई जावे। पत्रावली फॉर्मल शुमार की जाए नम्बर से कम की जावे। आदेश तत्काल जिला अदालत में अज्ञात जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p><i>व्यक्ति</i> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर</p>	<p><i>12/4/23</i></p>